प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.01.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 15000/- रूपये व आभूषण बरामद।

दिनांक 13.01.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान से 40 हजार रुपये व सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 305/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 15.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1.बाबू पुत्र मलूक निवासी केला गौदाम के पीछे बंगाली पीर के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष 2. शानू पुत्र सरफराज निवासी मनसा मंदिर के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा लोनी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 15000/- रुपये व 16 पीली धातु की अंगूठी, 07 पीली धातु के गले के हार, 03 जोडी सफेद धातु की पायल, 98 नग पत्थर के भिन्न भिन्न रंग के, 04 जोडी पीली धातु के कान के आभूषण व 05 पीली धातु के नोज पिन बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि जो रूपये व आभूषण हमसे बरामद हुए हैं ये हमने गिरी मार्केट लोनी में स्थित एक मकान से चोरी किये थे। चोरी किये गये रूपये हमनें आपस में बांट लिये थे बाकी पैसे हमने शौक में खर्च कर लिये थे। चोरी के इस सामान को हम दोनों मिलकर बेचनें की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.बाबू पुत्र मलूक निवासी केला गौदाम के पीछे बंगाली पीर के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।

2. शानू पुत्र सरफराज निवासी मनसा मंदिर के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 15000/- रुपये व 16 पीली धातु की अंगूठी, 07 पीली धातु के गले के हार, 03 जोडी सफेद धातु की पायल, 98 नग पत्थर के भिन्न भिन्न रंग के, 04 जोडी पीली धातु के कान के आभूषण व 05 पीली धातु के नोज पिन बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत रखते हुए चाकू से हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 15.01.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के पति समीर के साथ गाली-गलौच तथा जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर घायल कर दिया है । जिसके संबंध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । उपरोक्त घटनाक्रम का तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 15.01.2025 को ही थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा जाँच करने पर प्रकाश में आये अभियुक्त संदीप उर्फ प्रदीप पुत्र जय नारायण निवासी गली न0 01 अंग्रेजी शराब के ठेके के पास बहरामपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर यू0पी0 गेट के कौशाम्बी से गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू को बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उर्फ प्रदीप पुत्र जय नारायण उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 109,352 बीएनएस के पंजीकृत अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उर्फ प्रदीप पुत्र जय नारायण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 24.12.2024 की शाम को शराब के नशे में मैने एक व्यक्ति जो यही झाडियों के किनारे सौंच करने के लिए बैठ गया था, जिसे मैने वहां सौंच करने से मना किया तो वह व्यक्ति बहस करने लगा और जिस पर हम दोनों में गाली-गलौंच शुरू हो गयी । मैने उस व्यक्ति पर जान से मारने की नियत से चाकू से एक साथ कई वार करके उस व्यक्ति को घायल कर दिया तथा उस व्यक्ति के चिल्लाने पर आसपास के मौजूद लोग एकत्रित होने लगे तो मैं पकड़े जाने के डर से भाग गया और चाकू को पानी से धुलकर झाडियों में छिपाकर रख गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संदीप उर्फ प्रदीप पुत्र जय नारायण निवासी गली न0 01 अंग्रेजी शराब के ठेके के पास बहरामपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उर्फ प्रदीप पुत्र जय नारायण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना विजयनगर पर आर्मस एक्ट व चोरी का समान बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग व थाना सेक्टर 63 नोएडा में एनडीपीएस से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है । कुल 04 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।